

Form No. III**Qn/vgdke**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़मुकाम **चित्तौड़गढ़****लेरू**

बनाम

देउबाई वगैराह**कार्यवाही अन्तर्गत :-****235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र

नं०

025

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.08.2025	<p>प्रार्थना-पत्र बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थी की और से एक प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के दौरान-जनसुनवाई के प्रस्तुत किया गया। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में लंबित उक्त अनवानी का प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने बाबत् पेश किया गया। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ग्राह्यता के बिन्दु चिंतन-मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 235 के तहत अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भदेसर में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल(स्थानान्तरित) किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये एवं इस बाबत् इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी भदेसर में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल(स्थानान्तरित) किये जाने बाबत् क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है, किन्तु उक्त आदेश न्यायिक प्रकृति का होकर प्रकरण के पक्षकारान को विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई पूर्ण की जाकर आदेश पारित किये जाने के प्रावधान विधि द्वारा प्रावधित किये गये है, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी जनसुनवाई में परिवाद पेश किया गया एवं परिवाद के साथ किसी भी प्रकार से कोई प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज योग्य नहीं पाया गया है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूल, 1956 के नियम 17 के प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है, जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पालन नहीं किया जाना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया की न्यायालय में पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है, एवं न्याय हित में प्रार्थीगण को विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। अहकाम की प्रति प्रार्थी लेरू पिता रूपा जाति मेतर निवासी चौबेजी का कंथारिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे।</p> <p>-S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 04.08.2025</p>	

